

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ पश्चात को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग को विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। *Recommended for approval*

(राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाये।

दिनांक:- 27.02.2018

स्थान :- Lucknow

हस्ताक्षर :-



डा० प्रशान्त कुमार वर्मा
सरकारी मोहसुल वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980.
उ०प्र०, लखनऊ